श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 409, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

अपील सं019/एएस(आर.वाई.)/आई.सी/आर.टी.आई./2016

के मामले में :

श्री रामेश्वर शर्मा,
मकान नं.सी-343,
गली नं.16, भजनपुरा,
दिल्ली -110053

.... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

.... प्रत्यर्थी

आदेश

F.No-21(574)/2016-IC

दिनांक- 4.10.2016

श्री रामेश्वर शर्मा (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपने दिनांक 13/18.6.2016 के आवेदन-पत्र (इस विभाग में दिनांक 28.6.2016 को प्राप्त) के तहत इस मंत्रालय से 27 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी ।

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 4.7.2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि अपीलार्थी के दिनांक 13/18.6.2016 की याचिका का संबंध इस विभाग से न होने के कारण इसका हस्तांतरण विभाग ने अपने उक्त पत्र के तहत हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को कर दिया है तथा अपीलार्थी से अनुरोध किया गया था कि आगे की जानकारी संबंधित राज्य सरकारों और भारत सरकार के राजभाषा विभाग से ही प्राप्त की जाए। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने दिनांक 2.8.2016 के पत्र द्वारा प्रथम अपील दायर की है ।

3. इस मामले में दिनांक 15.9.2016 को पूर्वाहन 11.00 बजे कमरा सं0 409, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुनवाई निर्धारित की गई थी और इस बारे में दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि यदि कोई भी एक पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटान कर दिया जाएगा। अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के बारे में कोई लिखित सूचना दी गई ।

4. मैंने अपील के ज्ञापन और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना को देख लिया है । मैं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की आर.टी.आई. याचिका पर की गई कार्रवाई से सहमत हूं क्योंकि अपीलार्थी ने जो सूचना मांगी है वह विधि कार्य विभाग के कार्यक्षेत्र की परिधि में नहीं आती है। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है ।

5. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/ व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है ।

ह० रमा०

(रामायण यादव)

अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

दूरभाष सं0 23384204

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1. श्री रामेश्वर शर्मा, मकान नं.सी-343, गली नं.16, भजनपुरा, दिल्ली -110053
2. श्री के0 गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, "ए" विंग,शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ।